प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रीमती मंजु सोलंकी पत्नि राजेन्द्र सोलंकी एन-6 शिवाजी नगर कोलोनी जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर
प्रकरण अपील		25 /2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00077

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

28.08.2019

अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 18.09.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

18.09.2019

अपीलांट व सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जालोर का जवाब दिनांक 17.09.2019 को प्राप्त एवं अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जालोर द्वारा जवाब में व्यक्त किया गया है कि अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)तहत आवेदन प्रस्तुत करना बताया है।जो कार्यालय में प्राप्त होना नही पाया जाता है।अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2019 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है तो उसकी अभिस्वीकृति प्रार्थना पत्र के संलग्न अपील में पेश नही की है।जिससे यह प्रतित होता है कि अपीलांट द्वारा उक्त आवेदन पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी(तहसीलदार जालोर)के कार्यालय में पेश नही किया गया है।अत:अपीलांट की अपील खारिज करवाने की कृपा करावे।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया गया है कि मुझे तहसील से आज दिन तक किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नही हुई है।तत्काल प्रभाव से सूचना उपलब्ध करवाने की मेहरबानी करावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया एवं पक्षकारान के कथन पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा दिनांक 24.06.2019 को तहसीलदार जालोर से सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)अन्तर्गत मय पोस्टल आर्डर के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें वर्णित सूचना निर्धारित समयावधि में प्राप्त नही होने पर प्रथम अपील दिनांक 28.08.2019 को प्रस्तुत की गई है। जबकि तहसीलदार जालोर द्वारा अपने जबाव में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा 24.06.2019 का आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया और नही प्राप्त हुआ है।अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता तो अवश्य ही अभिस्वीकृति जारी की जाती तथा अभिस्वीकृति की छाया प्रति अपीलांट द्वारा अपील के साथ भी प्रस्तुत की जाती।इस प्रकार तहसीलदार जालोर द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा तहसील कार्यालय में सूचना हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत ही नही किया गया है।

अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट द्वारा तहसीलदार जालोर से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य/अभिस्वीकृति प्रस्तुत नही किये जाने के अभाव में अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

Sd

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 17:04:33 IST
Reason: SelfAttested